नगर एवं ग्राम योजना विभाग की 01.04.2009 से 31.03.2010 तक का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

पृष्ठभूमि

नगर एवं ग्राम योजना विभाग वर्ष 1964 में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की एक कोशिका के रूप में प्रारम्भ हुआ था तथा वर्ष 1979 तक इसी प्रकार कार्य करता रहा1 वर्ष 1979 में इसे एक स्वतन्त्र विभाग बनाया गया परन्तु निदेशक का कार्यभार वर्ष 1993 तक प्रमुख अभियन्ता अथवा मुख्य अभियन्ता हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग के पास ही रहा। तदोपरान्त् विभाग का अपना निदेशक नियुक्त कर कार्यभार उसे दिया गया ।

भूमिका

नगर एवं ग्राम योजना सामाजिक बदलाब की ऐसी विकास प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कार्य–कलाप भलि–भान्ति सुनिश्चत किए जा सकते है तथा मितव्यय करते हुए जीने योग्य, सामाजिक तौर पर सन्तोषदायक एवं सौन्दर्य व हर्षोल्लास से परिपूर्ण पर्यावरण ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में उपलब्ध हो

जनांककीय, सामाजिक व आर्थिक, तकनीकी एवं विधिवत् गतिशील तन्त्र के माध्यम से ऐसे पर्यावरण को दुर्लभ भूमि संसाधनों का अधिकाधिक, उपयुक्त एवं संतुलित विकास सुनिश्चित करना आज की प्राथमिक आवश्यकता है1

पर्यावरण एवं धरोहर आवश्यकताओं के अनुरूप सुनियोजित, प्रणालीबद्ध एवं स्थिर ग्रामीण एवं शहरी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर एवं ग्राम नियोजन आज की प्रमुख आवश्यकता है1 विकास योजनाओं, सैक्टोरल योजनाओं एॅवं नगर योजना स्कीमों के प्रावधानों के अनुरूप किया गया सुनियोजित विकास भविष्य हेतु मूलभूत सुविधाओं, यातायात एवं परिवहन की आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा1 अतः नगर एवं ग्राम योजना पहले से तैयार की गई योजना के आधार पर सुनियोजित विकास की प्रकिया है ताकि जनसाधारण हेतु स्वास्थ्यवर्धक पर्यावरण उपलब्ध करवाया जा सके।

विभाग के लक्ष्य एवँ कार्यकलाप

हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने के नाते भरपूर प्राकृतिक वातावरण एवं सांस्कृतिक धरोहर समृद्ध है1 यद्यपि् राज्य में नगरीकरण का स्तर कम है तथापि वर्तमान में शहरी भूमि पर शहरीकरण का दबाव बढ़ा है1 राज्य में 57 छोटे व बड़े शहरों में से केवल शिमला ही प्रथम श्रेणी का शहर है1 जनगणना 2001 के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या 5,95,581 व्यक्ति है जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 10 प्रतिशत है। विकासात्मक गतिविधियों एवं नए क्षेत्रों के आगमन के परिणामस्वरूप बहुत से नए विकास केन्द्र उभर रहे हैं1 राज्य में भूमि पर अत्यधिक दबाव बढ़ा है जिसके कारण शहरों में अव्यवस्थित एवं अनियोजित गतिविधियों की भयावह स्थिति बन गई है1 शहरीकरण की इस बढ़ती हुई प्रवृति को योजनाबद्ध व वैज्ञानिक ढंग से प्रबन्धन करने एवं संचालन के दृष्टिगत तथा अनाधिकृत निर्माण गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 को लागू किया है1 नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम को लागू करने के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार है :–

क सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित ढंग से शहरी व ग्रामीण विकास को व्यापक रूप एवँ बैज्ञानिक ढंग से बढा़वा देना,

ख अव्यवस्थित निर्माण एवं उसके कारण होने वाली अनेक पर्यावरणीय बुराईयों को रोकना,

ग बहुमूल्य एवं सीमित भू–संसाधनों का उपयुक्त तौर पर सदुपयोग करना,

घ योजनाबद्ध एवं विनियमित विकास को बढा़वा देने के लिये उपयुक्त परिस्थितियाँ सुनिश्चित करना,

ड शहरों सहित योजना एवं विशेष क्षेत्रों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु योजनाऐ बनाना,

च गराबों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना और विशेषकर शहरी मलिन बस्तियों का निराकरण करना,

छ सुयोग्य आवास हेतु पर्यावरण को बढ़ावा देना,

ज प्रदेश की पहाड़ी वास्तुकला एवं समृद्ध प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना तथा

झ. पट्टिकावत विकास पर अंकुश लगाना तथा सामुदायिक चहल–कदमी हेतु राजमार्गों की सुरक्षा करना1

योजना क्षेत्रों में अधिनियम का विस्तार

विभिन्न नगरों/उभरते केन्द्रों के योजनाबद्ध विकास के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 को निम्नलिखित 21 योजना क्षेत्रों में लागू किया गया है:–

- **योजना क्षेत्र**

1	शिमला	11	हमीरपुर
2	रामपुर	12	धर्मशाला
3	रोहड़ु	13	पालमपुर
4	ठियोग	14	चम्बा
5	परवाणु	15	डलहौजी
6	कसौली	16	उना ;शहरीद्ध
7	सोलन	17	मैहतपुर
8	वाकनाघाट	18	मण्डी
9	नाहन	19	बिलासपुर
10	पॉवटा साहिबशहरी	20	कुल्लु बैली
		21	कमान्द

क्योंकि हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण का विधान केवल आवासीय कॉलोनियां एवं लाभकारी परियोजनाओं के कार्यान्वयन तक सीमित है अतः विकास योजनाओं एवं सैक्टर योजनाओं के प्रावधानों अनुसार विकासात्मक गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत एक राज्य स्तरीय विकास प्राधिकरण का पुर्नगठन होना चाहिए1

- **विशेष क्षेत्र और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण**

21 योजना क्षेत्रों के अतिरिक्त, विभाग द्वारा 34 अन्य क्षेत्रों में भी हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम,1977 के प्रावधानों को लागू किया गया है जो कि उक्त अधिनियम की धारा–66 के अन्तर्गत विशेष क्षेत्र घोषित किये गये हैं1 ऐसे क्षेत्र जिनमें शहरीकरण के विकास की प्रवृत्ति हो और जिनमें विकास एवं मूलभूत सुविधायें प्रदान करने हेतु कोई संस्था न हो, को विशेष क्षेत्र घोषित किया जाता है1 इन विशेष क्षेत्रों में सुव्यवस्थित और विनियमित योजना हेतु उपरोक्त अधिनियम की धारा–67 के अन्तर्गत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों का गठन उपायुक्त, उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), माननीय स्थानीय विधायकों की अध्यक्षता में किया गया है तथा विभाग के स्थानीय अधिकारी इनके सदस्य हैं1 बद्दी–बरोटीवाला एवं नालागढ विकास प्राधिकरण का गठन माननीय मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता में किया गया है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के पास नगर पंचायत की तरह कर एवँ शुल्क लगाने का अधिकार है1 नगर एवं ग्प्रम योजना अधिनियम, 1977 की धारा–70 के अनुसार विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली निम्न प्रकार है :–

क. विशेष क्षेत्रों हेतु विकास योजनाऐ तैयार करना।

ख. सरकार की स्वीकृति के उपरान्त तैयार की गई विकास योजनाओं को लागू करना।

ग. योजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य से भूमि एवं अन्य सम्पति को अर्जित करना, रख–रखाव करना, विकसित, प्रबन्धन एवं निपटारा करना।

घ. निर्माण कार्य करना और जल, बिजली, निकासी एवं अन्य सुविधायें प्रदान करना।

ड. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 में निर्धारित स्वायत शासन सुविधाऐं प्रदान करना।

च. जैसा कि नगरपालिका अधिनियम, 1994 में प्रावधान है विशेष क्षेत्र में उसी तरह प्रबन्धन करना ।

छ विशेष क्षेत्र से सम्बन्धित ऐसे समस्त कार्यों का निष्पादन करना जैसे कि राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश दें1

34 विशेष क्षेत्रों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

कम सं0	**नम**	**कम सं0**	**नाम**
1.	पंगी	18	नेर चौक
2	चमेरा	19	सराहन
3	उदयपुर	20	रिकांगपिओ
4	खजियार	21	घणाहटटी
5	भरमौर	22	कुफरी
6	केलांग	23	हाटकोटी
7	श्रोहतांग	24	शोघी
8	सेलंग	25	कण्डाघाट
9	चामुण्डा	26	चैल
10	पौंग डैम	27	बड़ोग
11	बीर–बिलिंग	28	जाबली
12	मनीकरण	29	त्रिलोकपुर
13	काजा	30	पॉवटा साहिब ;शहरीद्ध
14	तबो	31	नग्गर
15	गरली–परागपुर	32	हरत
16	ऊना ;शहरीद्ध	33	बददी–बरोटीवाला

17	बाबा बालकनाथ जी	34	चिन्तपुरनी

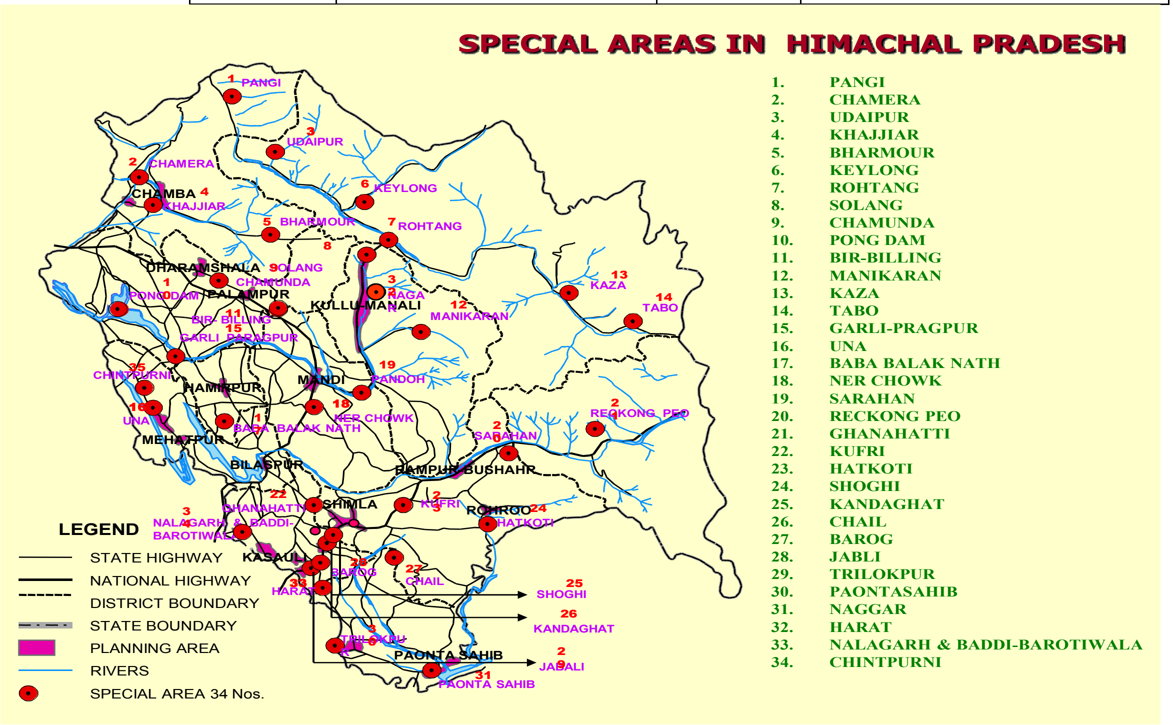

योजनाओं की स्थिति

व्यवहारिक बढ़त एवं विनियोजित भू–नियोजन हेतु 15–20 बर्षों की प्रत्याशित अवधि के लिए **अन्तरिम विकास योजनांयें** व विकास योजनाऐ बनाई जाती हैं1 निम्नलिखित 2 **अन्तरिम विकास योजनांयें** व 16 नगरीय क्षेत्रों हेतु विकास योजनाऐ अधिसूचित की जा चुकी हैं:–

- **अन्तरिम विकास योजनांयें :–**

1. शिमला
2. वरोटीवाला

- **विकास योजनांयें:–**

1. धर्मशाला
2. नाहन
3. परवाणु
4. रामपुर
9. डलहौजी
10. हमीरपुर
11. सोलन
12. पालमपुर

5. ऊना
6. कसौली
7. पाँवटा – साहिब
8. मण्डी
13. मनाली
14. बिलासपुर
15. चम्बा
16. नालागढ

संशोधित विकास योजनायें

1 मनाली
2 नाहन
3 हमीरपुर
4 कसौली

शिमला, धर्मशाला, कुल्लू के शेष क्षेत्र, कुल्लू भुन्तर एग्लोमिरेशन, मैहतपुर की विकास योजनाऐं व रामपुर धर्मशाला की संशोधित विकास योजनाऐं सरकार, द्वारा कूछ बदलाव हेतु वापिस की गई हैं अतः विभाग द्वारा उन्हें अद्यतन किया जा रहा है ।

- **सैक्टर योजनाए**

सैक्टर व वार्ड स्तर पर नियोजन सुनिश्चित करने के लिए, 4 सैक्टर नामतः शिमला योजना क्षेत्र के जाखु, सीमीट्री–भट्टा कुफर ;फेज–2, रामपुर योजना क्षेत्र के ब्रौ और हमीरपुर योजना क्षेत्र के हीरा नगर की सैक्टर योजनाएं सरकार द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं1

- **आदर्श ग्रम योजनांऐ**

बिलासपुर योजना क्षेत्र के रघुनाथपुरा गाँव और ऊना विशेष क्षेत्र के अरनियाला गाँव की आदर्श ग्राम योजनाऐं तैयार करके सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दी गई थी परन्तु रघुनाथपुरा गाँव की आदर्श योजना सरकार द्वारा पुर्ननिरीक्षण हेतु वापिस की गई हैं जिसका विभाग द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है1

- **क्षेत्रीय योजनाएं**

असुविधाजनक क्षेत्रों के दबाव से निपटने एवं इन क्षेत्रों के लिए 'काउंटर मैगनैट' विकसित करने के उद्देश्य से विभाग ने बिलासपुर, हमीरपुर एवं मण्डी जिलों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए एक आऊटलाईन क्षेत्रीय योजना तैयार की है1

शिमला के धरोहर और पर्यावरण को बनाये रखने के लिए शिमला राजधानी शहर की आऊटलाईन क्षेत्रीय योजना बनाई जा चुकी है तथा उसे जनता के सुझाव एवं आपत्तियाँ आमन्त्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया है1 योजना पर पंचायती राज संस्थाओं एवं अन्य 'स्टेक होल्डरज' के साथ विचार–विमर्श किया जा रहा है ।

संगठनात्मक संरचना

प्रदेश में नगर एवं ग्राम योजना विभाग के शिमला में स्थित निदेशालय के अतिरिक्त निम्नलिखित 7 मण्डलीय और 5 उप–मण्डलीय कार्यालय हैं जिनका संचालन कमशः नगर एवं ग्राम योजनाकारों व सहायक नगर योजनाकारों द्वारा किया जा रहा है1 उनकी स्थापना व क्षेत्राधिकार निम्न प्रकार से हैं:–

निदेशालय नगर एवं ग्राम योजना

कम सं0	कार्यालय	क्षेत्राधिकार
1.	शिमला	हिमाचल प्रदेश

मण्डलीय नगर योजना कार्यालय

कम सं0	कार्यालय	क्षेत्राधिकार
1.	शिमला	शिमला और किन्नौर जिले
2.	सोलन	सोलन जिला
3.	मण्डी	मण्डी और बिलासपुर जिले
4.	कुल्लु	कुल्लु और लाहौल–स्पिति जिले
5.	हमीरपुर	हमीरपुर और ऊना जिले
6.	धर्मशाला	कांगड़ा और चम्बा जिले
7.	नाहन	सिरमौर जिला

?

उप मण्डलीय नगर योजना कार्यालय

1.	ऊना	ऊना जिला
2.	चम्बा	चम्बा जिला
3.	बिलासपुर	बिलासपुर जिला
4.	रामपुर बुशैहर	शिमला जिला का भाग और किन्नौर जिला
5.	परवाणु	सोलन जिला का भाग ;परवाणु योजना क्षेत्र व जावली विशेष क्षेत्रद्ध

स्टाफ संरचना

विभाग में विभिन्न श्रेणियों के कुल 259 पद स्वीकृत हैं जिनमें से दिनांक 31.3.2010 तक 210 पद भरे हुए हैं तथा 49 पद रिक्त पडे हैं। संगठनात्मक संरचना का चार्ट **अनुबन्ध–क** पर है। नगर एवं ग्रम योजना विभाग में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों का वेतनमान सहित विवरण निम्नानुसार है :–

प्रथम श्रेणी

कम सं0	**प्दनाम**	**कुल स्वीकृत पद**	**भरे पद**	**रिक्त पद**	**वेतनमान**	ग्रेड **वेतन**
1	निदेशक	1	1	.	37400–67000	10000
2.	राज्य नगर योजनाकार	1	1	–	37400–67000	8700
3.	नगर एवं ग्रम योजनाकार	8	2	6	15600–39100	7600
4.	सहायक नगर योजनाकार	14	8	6	15600–39100	5400
5.	योजना अधिकारी	19	14	5	10300–34800	5000
6.	अधीक्षक वर्ग–1	1	1	–	10300–34800	5000
7.	विधि अधिकारी	1	1	–	10300–34800	4400
8.	त्हसीलदार	1	1	–	10300–34800	4400
	कुल	**46**	**29**	**17**		

द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित)

क्रम सं0	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	वेतनमान	ग्रेड वेतन
1	अनुसंधान अधिकारी	2	2	.	10300–34800	4200
	कुल	**2**	**2**	**–**		

द्वितीय श्रेणी (अराजपत्रित)

क्रम सं0	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	वेतनमान	ग्रेड वेतन
1	वरिष्ठ योजना प्रारूपकार	13	8	5	10300–34800	4200
2	अधीक्षक वर्ग–2	2	2	–	10300–34800	4200
3.	निजि सहायक	1	1	–	10300–34800	4200
	कुल	**16**	**11**	**5**		

तृतीय श्रेणी

क्रम सं0	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	वेतनमान	ग्रेड वेतन
1	कनिष्ठ अभियन्ता	29	18	11	10300–34800	3800
2.	प्रारूपकार	5	5	.	10300–34800	3800

3.	वरिष्ठ सहायक	11	11	—	10300—34800	3800
4.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1	1	—	10300—34800	3800
5.	अनुसंधान सहायक	2	2	—	10300—34800	3600
6.	क्षेत्रीय अन्बेषक	3	1	2	5910—20200	2400
7.	कनिष्ठ प्रारूपकार	22	21	1	5910—20200	2400
8.	सर्वेयर	2	2	—	5910—20200	2400
9.	आशु टंकक	15	10	5	5910—20200	2000
10.	चलक	7	7	—	5910—20200	2000
11.	थ्लपिक	27	24	3	5910—20200	1900
13.	पटवारी	19	14	5	5910—20200	1900
14	लौह मुद्रक	3	3	—	5910—20200	1900
	कुल	**146**	**119**	**27**		

चतुर्थ श्रेणी

क्रम सं0	प्दनाम	कुल स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	वेतनमान	ग्रेड वेतन
1	प्रौसेस सरवर	1	1	—	4900—10680	1400
2.	चपडासी	16	16	—	4900—10680	1300
3.	चौकीदार—कम—स्वीपर	7	7	—	4900—10680	1300
4.	चैनमैन	24	24	—	4900—10680	1300
5.	स्वीपर	1	1	—	4900—10680	1300
	कुल	**49**	**49**	**—**		

स्वीकृत, भरे तथा रिक्त पदों का दिनांक 31.3.2010 तक श्रेणी वार ब्यौरा

क्रम सं0	वर्गीकरण	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1.	प्रथम श्रेणी	46	29	17
2.	द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित)	2	2	—
3.	द्वितीय श्रेणी (अराजपत्रित)	16	11	5
4.	तृतीय श्रेणी	146	119	27
5.	चतुर्थ श्रेणी	49	49	—
	कुल	**259**	**210**	**49**

अधिकारियों व कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निष्पादन एवं शक्तियों का उपयोग सरकार व निदेशक द्वारा समय—समय पर प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप सुनिश्चित करते हैं ।

विभाग में प्रशासनिक एवँ वित्तीय प्रबन्धन हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, मौलिक नियम, ;सी0सी0एस0 सी0सी0ए0 ;आचरण नियमों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाता है ।

नगर एवं ग्प्रम योजना विभाग के विशिष्ट कार्यकलापों के सम्बन्ध में, आम जनता के कार्यों का शीघ्र एवं समयबद्व निपटारा करने हेतु विभाग के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निदेशक के कर्तव्य सौंपे गए हैं तथा शक्तियाँ प्रदान की गई हैं1 कार्यकलापों के विनियमन हेतु अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य प्रचलित नियमों व विनियमों में विनिर्दिष्ट किए गए हैं1

विभाग का बजट एवं आय प्राप्ति

विभाग में दो मुख्य शीर्ष नामतः 2217 व 4217 चल रहे है1 मुख्य शीर्ष 2217 राजस्व व्यय जैसेः वेतन, मजदूरी, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय आदि से सम्बन्धित है और मुख्य शीर्ष 4217 प्रारूप विकास योजना बनाने पर व्यय से

सम्बन्धित है1 दोनों मुख्य शीर्षो में गत् तीन वर्षों के बजट प्रावधान एवं व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैं:—

विभागीय बजट

शीर्ष 2217/ मानक	2007—08		2008—09		2009—10	
	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय
वेतन	343.50	364.66	347.65	463.64	536.40	572.70
म्जदूरी	8.40	7.15	5.31	5.25	11.22	11.22
यात्रा व्यय	4.00	3.46	3.31	3.28	3.27	3.27
कार्यालय व्यय	19.90	19.57	21.40	21.36	18.88	18.88
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	8.30	5.86	7.22	7.24	7.04	7.04
कर तथा किराया	0.88	0.88	0.88	0.88	1.01	1.01
मोटर वाहन	21.85	20.68	10.50	10.50	10.43	10.43
स्थानान्तरण व्यय	0.20	0.23	0.43	0.44	0.26	0.26
योगः	**407.03**	**422.49**	**396.70**	**512.58**	**588.51**	**624.81**
4217	38.44	35.67	10.00	10.02	63.00	62.77

विभागीय राजस्व प्राप्तियाँ

पिछले 3 वर्षो की वर्षवार राजस्व प्राप्तियाँ जो कि हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के प्रावधानों को लागू करने पर एकत्रित की गई है, निम्न प्रकार से हैं:—

क्रम सं0	**वर्ष**	**राजस्व प्राप्तियॉ**		
		नगर एवं ग्राम योजना विभागद्वारा	**विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ै;क।द्ध द्वारा**	**कुल जोड़**
1.	2007—2008	133.73 लाख	771.15 लाख	904.88 लाख
2.	2008—2009	225.57 लाख	637.55 लाख	863.12 लाख
3.	2009—2010	271.59 लाख	1530.71 लाख	1802.30 लाख

वार्षिक कार्य योजना 2009—10 के लक्ष्य, उद्देश्य और उपलब्धियां

बार्षिक कार्य योजना 2009–10 के दौरान प्रारूप विकास योजनाएं/योजनांए तैयार करने हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :–

क0 सं0		लक्ष्य	उपलब्धियां
1	सोलन	अतिरिक्त कसौली योजना क्षेत्र की विकास योजना	सरकार द्वारा 22.10.2009 को स्वीकृत कर दी गई है1
2.	नाहन	त्रिलोकपुर विशेष योजना क्षेत्र की विकास योजना	वर्तमान भू–उपयोग को अपना लिया गया है तथा विकास योजना के प्रारूप का कार्य प्रगति पर है
3.	मण्डी	नेरचौक विशेष क्षेत्र की विकास योजना	आधार मानचित्र 1:5000 के पैमाने पर राजस्व मानचि़त्र के आधार पर तैयार कर लिया गया है1 सामाजिक अर्थशास्त्र की कुछ सूचनाएं अन्य स्त्रोतों से एकत्रित कर ली गई है1 सम्बन्धित विभागों से उनकी भावी वांछित आवश्यकताओं हेतु अनुरोध किया गया है ताकि उन्हे इस विकास योजना में सम्मिलित किया जा सके 1
4.	कुल्लु	1.मणिकरण विशेष क्षेत्र का वर्तमान भू उपयोग1 2.नग्गर विशेष क्षेत्र की विकास योजना	1.वर्तमान भू उपयोग तैयार करने के उपरान्त अपना लिया गया है 1 2. आधार मानचित्र विकास योजना को तैयार कर लिया गया है तथा अन्य दस्तावेजों को सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों से एकत्रित करने की प्रकिया प्रगति पर है 1
5.	हमीरपुर	बाबा बालक नाथ विशेष क्षेत्र की विकास योजना	बाबा बालक नाथ विशेष क्षेत्र विकास योजना का कार्य कार्यान्वित नहीं किया जा सका

			क्योंकि अध्यक्ष एवं जिलाधीश हमीरपुर ने हि0प्र0 नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम को इस क्षेत्र में ना लगाए जाने बारे सरकार से मामला उठाया है।
6.	धर्मशाला	अतिरिक्त धर्मशाला योजना क्षेत्र की विकास योजना	अतिरिक्त धर्मशाला योजना क्षेत्र के 20 मोहालों में से 18 मोहालों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है 15 मोहालों की सजारा सीटस इमारतें अंकित कर दी गई है1 तथा 10 मोहालो का वर्तमान भू –उपयोग रजिस्टर तैयार कर लिया गया है। सामाजिक अर्थशास्त्र सर्वेक्षण एवं टकण का कार्य प्रगति पर है 1
7.	शिमला	ठियोग योजना क्षेत्र की संशोधित विकास योजना	संशोधित विकास योजना का प्रारूप तैयार करने का कार्य प्रगति पर है ।
8.	बिलासपुर	घुमारवीं योजना क्षेत्र का वर्तमान भू उपयोग	घुमारवीं योजना क्षेत्र के गठन हेतु प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है जो सरकार के विचाराधीन है 1
9.	ऊना	चिन्तपुरनी विशेष क्षेत्र की विकास योजना	चिन्तपुरनी विशेष क्षेत्र विकास योजना का प्रारूप जनता के सुझाव एवं आपत्तियों हेतु दिनाक 15.6.2009 को प्रकाशित कर दिया गया है जिसकी सुनवाई दिनाक 20.11. 2009 को कर ली गई है।सुनवाई मे जो निर्णय लिए गए हैं उन्हे विकास योजना मे शमिल किया जा रहा है ा
10	रामपुर	सराहन विशेष क्षेत्र की विकास योजना	सराहन विशेष क्षेत्र की विकास योजना से सम्बन्धित सरकारी एवं गैर सरकारी विभागो से सूचनाएं

			एकत्रित की जा रही हैं, विकास योजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है1
11.	चम्बा	भरमौर विशेष क्षेत्र की विकास योजना	बडे पैमाने पर सैपटीयल ;चंजपंसद्ध ⁄इन्जीनियरिंग मानचित्रो को प्राप्त करने हेतु प्राकलन तैयार किए जा रहें है तथा विकास योजना के प्रारूप का कार्य भी प्रगति पर है1

12	परवाणु	परवाणु योजना क्षेत्र की संशोधित विकास योजना	परवाणु योजना क्षेत्र की संशोधित विकास योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है जिसकी विभागीय स्तर पर जांच की जा रही है और जांच पूर्ण होने के उपरान्त संशोधित विकास योजना को सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिया जाऐगा 1

नगर एवं ग्राम योजना विधेयक–2009

सरकार के निर्देशानुसार, वर्तमान हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम,1977 को निरस्त करने के लिए प्रारूप हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विधेयक–2009 तैयार किया गया है। प्रारूप विधेयक निम्न प्रबन्धन करता है :–

- प्रदेश में सार्थक एवं स्थिर विकास सुनिश्चित करने हेतू अधिनियम को पूर्ण राज्य में लागू करना ।
- खानदानी पेशों को निहित सीमा तक, निम्न के परिपेक्ष में अधिनियम से छूट देने वारे प्रावधानः–

    (i) नगरपालिका सीमाओं के बाहर के क्षेत्र ।
    (ii) विकास योजनाओं की शहरीकरण योग्य सीमाओं के बाहर के क्षेत्र ।

- विभाग द्वारा बृहत स्थलीय योजनांए, क्षेत्रीय योजनाऐ और विकास योजनाऐ तैयार करना तथा समयबद्व सीमा में सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करना1
- पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों को विशेषज्ञ उपलब्ध करवा कर इन्हें विनियमन शक्तियां प्रदान करना तथा निचले स्तर की योजनांए बनाने व विकास कार्य करने का काम सौंपना ।
- धरोहर का संरक्षण ।
- राज्य स्तरीय धरोहर संरक्षण सलाहकार समिति का गठन ।

- स्पेशियल योजनाओं के कार्यान्वयन एवं नगर विकास योजनओं व सेक्टर योजनाओं को तैयार करने व उनको कार्यान्वित करने के लिए एक राज्य नगर एवं ग्रम विकास प्राधिकरण का गठन करना ।

नगर एवं ग्रम योजना अधिनियम,1977 में संशोधन

ग्रमीण क्षेत्रों में लोगों को सुविधा प्रदान करने हेतु हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्रम योजना अधिनियम, 1977 की धारा–30 क को अधिसूचना दिनांक 27.03. 2009 द्वारा निम्न रूप से प्रतिस्थापिक किया गया है :–

"30–क योजना या विशेष क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले ग्रमीण क्षेत्रों में विकास अनुज्ञा से छूट – (1) किसी भी व्यक्ति, जिसकी ग्रमीण क्षेत्रों में अपनी भूमि है, जो उन योजना या विशेष क्षेत्रों के अन्तर्गत आती है जिनके लिए न तो अन्तरिम योजना और न ही विकास योजना अधिसूचित की गई है, को निम्नलिखित विकास कियाकलापों के लिए उन सीमाओं तक, जो विहित की जाए, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा से छूट होगीः–

(क) आवासीय कियाकलाप जैसे कि फार्म हाउस और आवासीय गृह तीन मंजिलों तक, पशुशाला, प्रसाधन, सैप्टिक टेंक, रसोई, भण्डार(स्टोर), पार्किंग शैड या गराज तथा बर्षा शालिका;

(ख) वाणिज्यिक कियाकलाप जैसे कि आधारभूत वाणिज्यिक कियाकलाप तद्वत आम विकी की वस्तुओं वाली दुकानें, मोची, नाई(बार्बर), दर्जीगिरी, फल, सब्जी, चाय या मिठाई, खाने के स्थान तथा ढावे, औषध विकेता और फार्म उत्पाद विकी डिपो;

(ग) सेवा उद्योग जैसे कि कुटीर या हाउस होल्ड, सेवा उद्योग तद्वत बढईगिरी, बुनाई, वीविंग, लोहार, सुनार, पांच अश्वशक्ति तक की क्षमता वाली आटा चक्की, पनचक्की, कृषि उपस्कर या मशीनरी मरम्मत, विद्युत, इलैक्ट्रोनिक तथा हाउस होल्ड उपकरण;

(घ) जन सुख–सुविधांएं जैसे कि पंचायत कार्यालय, विद्यालय, महिला मण्डल, युवक मण्डल, सामुदायिक हाल, डाकघर, डिसपैन्सरियां और क्लिनिक (स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा और भारतीय औषधि पद्यति सहित), सूचना प्रौद्योगिकी कुश्क कक्ष (किआस्क), पटवारखाने, गार्ड हट, आंगनवाडियां, विद्युत और दूरभाष अधिष्ठापन और कुनैक्शन्ज, सडकें तथा मार्ग, रोप वेज, वाटरटैंक, बर्षा संग्रहण टेंक, ओवरहैड

या भूमिगत वाटरटैंक, पम्प हाउस, चैकडैम, मन्दिर, चर्च, मस्जिदें, कब्रिस्तान, समाधि–स्थल (समिट्रीज), श्मशानघाट और अन्य धार्मिक भवन, नहाने के घाट, श्माशान शैल्टरज, आरामगाहें, रेस्ट शडज, स्नानगृह, जल निकास(ड्रेनेज), प्रसाधन, शौचालय, मूत्रालय, सीवरेज (मल वहन) अधिष्ठापन, कुएं, नलकूप, बाबडियां, कूडा–कचरा निकासदान, डिपो और अन्य अधिष्ठापन जैसी जन सुविधांए;

(ड.) बर्षा संग्रहण ढाचों, दुग्ध शीतलीकरण प्लांट, फार्म स्तरीय गोदामों, बीजों और उर्वरक भण्डारों, फार्मों, क्लिनिकों, पूर्व शीतलन इकाईयों, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाईयों, ग्रीन हाउस और पौली हाउस सहित कृषि और बागवानी से सम्बन्धित क्रियाकलाप; और

(च.) धरोहर(हैरिटेज) से सम्बन्धित क्रियाकलाप जैसे कि झीलें, जलाशय, डेम, बाबडियां, वन्य प्राणी विहार (सैक्चुअरिज), समाधि–स्थल (समिट्रीज), कब्रिस्तान, रेल की पटरियां।

(2) किसी भी व्यक्ति, जिसकी अंतरिम विकास योजनाओं या योजना अथवा विशष्ट क्षे्त्रों की विकास योजनाओं में यथा दर्शित नगरयोग्य क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में अपनी भूमि है, को उन सीमाओं तक, जो विहित की जाएं, उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट विकास क्रियाकलापों के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञा से छूट होगी।"

हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्प्रम योजना नियम, 1978 के तहत अनियमिताओं के मामलों को कम्पाउण्ड् करने वारे संशोधन1

30–6–2006 तक निर्मित आवासीय भवनों के स्वीकृत मानचित्रों से 40 प्रतिशत तक की अनियमिताओं जो कि सैट बैक्स में प्रदत्त मंजिलों की संख्या में हुई है, को कम्पाउण्ड् करने के प्रावधान हेतु अधिसूचना दिनांक 25.02. 2009 द्वारा नगर एवं ग्प्रम योजना नियम, 1978 में संशोधन किया गया था।इन नियमों के अर्न्तगत 31.03.2009 तक मामले प्रस्तुत किए जाने बांछित थे और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा 30.06.2009 तक इनका निष्पादन किया जाना था1 नगर निगम, शिमला के अनुरोध पर लम्बित मामलों को पूर्ण रूप से निपटाने हेतु समय अवधि दिनांक 30–09–2009 तक और बढाई गई जिसकी सूचना सरकार के पत्र संख्या टी.सी.पी.–एफ–;5द्ध–2 / 2009 दिनांक 22–08–2009 द्वारा अधिसूचित कर दी गई है1 कम्पाउडिंग अधिनियमों के अन्तर्गत जो मामले प्राप्त हुए उनके निष्पादन का विवरण निम्न प्रकार से है1

क्रम स0	विवरण	मामले प्राप्त हुए	मामले नियमित किए गए	मामले अस्वीकृत किए गए	मामले निश्चित अवधि पूर्ण होने पर बन्द कर दिए गए
1	योजना क्षेत्र	345	86	216	43
2	विशेष क्षेत्र	96	39	48	09
3	एकल खिडकी के अन्तर्गत स्थानीय निकाय से	866	451	415	—
जोड		**1307**	**576**	**679**	**52**

सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा अपनाये गए विनियमन उपाय 1

सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित पग उठाये गए हैंः—

क यातायात सड़कों के साथ लगते प्लाटों में पार्किंग के प्रावधान की अनुपालन की जा रही है ताकि सडक किनारे पार्किंग की समस्या को सुलझाया जा सके 1

ख. शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी से सम्बन्धित हरित, धरोहर, कोर, प्रतिबन्धित एवं अन्य क्षेत्रों हेतु बनाए गए विनियमों की अनुपालन की जा रही है ताकि उनके पर्यटक महत्व को बरकरार रखा जा सके ।

ग. जनता की सुविधा हेतु वास्तुकारों को हिमाचल प्रदेश, नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के प्रावधानों के अन्तर्गत मानचित्र बनाने हेतु लाईसैंस प्रदान किए गए हैं ।

घ नियमों में वर्षा जल संग्रहण का प्रावधान समाविष्ट किया जा चुका है और इसे स्वीकृति प्रदान करते समय तथा संरचना के पूर्ण होने पर सुनिश्चित किया जा रहा है1

ड पहाडी वास्तुकला को दर्शाने के उदेश्य से भवनों के रूपाकन में ढलानदार छत और पहाडी वास्तुकला का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है ।

च. भू विभाजन से सम्बन्धित धारा–16(सी) का सख्ती से पालन किया गया ताकि आम जनता को सही आकार के विकसित भूखण्ड प्राप्त करवाए जा सकें ।

छ विनियमों के अनरूप 45 डिग्री से अधिक ढ़लान पर विकास प्रतिबन्धित करने के लिए प्रावधानों की अनुपालन की जा रही है ताकि भूस्खलन परिवेश एवं पहाडी प्रदेश का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके ।

ज. पहाडों की कटाई रोकने हेतु 3.50 मीटर उँचाई तक कटाई करने के प्रावधान की अनुपालना की जा रही है I

झ. सभी सरकारी एवं अर्धसरकारी भवनों तथा मनोरंजक क्षेत्रों में अपंग व्यक्तियों की सुविधा हेतु बिना रूकावट वाला पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए नियमों में प्रावधान किये गये हैं, जिनकी अनुपालना की जा रही है ।

ट. एक ओर आरामदायक जीवनयापन करने तथा दूसरी ओर उर्जा बचाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सौर अप्रतिरोधी भवन विनियम अनुमोदित किए गए हैं ।

ठ. वाकनाघाट में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क विकसित करने हेतु विनियम तैयार किए गए हैं, जिन्हें सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

– मोबाइल संचार टावर अधिनियम का प्रारूप

विभाग ने मोबाइल संचार टावरज के अधिनियम का प्रारूप तैयार कर लिया है जिसे जनता के द्वारा सुझाव एवं आप्पतियों हेतु दिनांक 17–02–2010 को अधिसूचित किया गया है1 इस अधिनियम के प्रारूप की चर्चा जनता के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न स्टेक होल्डरज से की जा रही है और चर्चा के उपरान्त इसे तदानुसार अन्तिम रूप दिया जाएगा 1

धरोहर संरक्षण

शिमला व चम्बा शहरों में स्थित ऐसे सभी धरोहर भवन व क्षेत्र जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं तथा भिन्न वास्तुकला एवं बाह्य विशिष्टता धारण किये हैं और धार्मिक एवं पर्यटन दृष्टि से महत्व रखते हैं, को धरोहर क्षेत्र चिन्हित एवं अधिसूचित किया गया है1 शिमला धरोहर जोन में धरोहर विनियम लागू किये जा रहे हैं1 शिमला, चम्बा, मण्डी, डलहौजी एवं रामपुर के धरोहर प्रतिवेदन जनता के सुझाव एवं आपत्तियों हेतु अधिसूचित किए गए थे1 माननीय नगर एवं ग्राम योजना मन्त्री, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनसार तैयार किये गये धरोहर प्रतिवेदनों पर पुनः स्टेक होल्डरज एवं जन प्रतिनिधियों से विचार विर्मश किया गया है तथा मामलें में जो टिप्पणी/सुझाव प्राप्त हुए हैं, उन्हें प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जा रहा है1 यहॉ पर यह अदघृत करना उचित होगा कि भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण विभाग ने कुछ समय पहले प्राचीन स्मारक एवं पुरात्तव स्थलों के अधिनियम, 1958, में संशोधन कर ;संशोधन एवं सप्रमाणताद्ध अधिनियम, 2010 बनाया है जिसके तहत ऐसे स्मारकों जो अद्वितिय स्थान रखते हैं, की सूचि तैयार करके उनके संरक्षण हेतु चिन्हित किया है1 इस नये अधिनियम का उददेश्य हमारे धरोहर को सरक्षित करना है1 सरकार का यह सुनिश्चित करना चाहती है कि राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारकों के इर्द–गिर्द वर्जित क्षेत्र में कोई भी निर्माण एवं सार्वजनिक प्रोजैक्टस न लगाए जाए1 उपरोक्त अधिनियम में संशोधन के दृष्टिगत धरोहर विनियमों को पुनः परीक्षण किया जाना वांछित है अतः क्षेत्रीय कार्यालयों से धरोहर प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इन्हें अन्तिम रूप दिया जायेगा और इन्हें सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा 1

प्रदेश की शहरीकरण नीति

विभाग द्वारा एक नीतिगत दस्तावेज जो कि शहरी क्षेत्रों से विकास का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ सुनिश्चित करने, कांउटर मैगनेट स्थापित करने, सेवायुक्त भूमि/ विकास प्राधिकरण द्वारा सुनियोजित शहरी ढांचा उपलब्ध करवाना, पर्यावरण संगत विकास, स्थानीय धरोहर को बढ़ावा देने आदि पर केन्द्रित है, तैयार किया जा चुका है1 यह दुर्लभ, शहरी भूमि संसाधनों के सही उपयोग, सुनियोजित भूमि उप–विभाजन एवं भूमि जो संयुक्त स्वामित्व में है, के लिए “लैन्ड पूलिंग एंड रिकन्स्टीच्यूशन आफ प्लाटस” की संरचना को

मिलाता है1 इस नीति पर शहरी विकास विभाग, हिमुडा, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश से सुझाव प्राप्त हुए है1 राज्य की सभी स्थानीय निकायों एवं हिमुडा के समस्त अधिशाषी अभियन्ताओं से भी सुझाव आमन्त्रित किए गए हैं तथा इन सुझाव के प्राप्त होने के पश्चात नीति सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाएगी1

एकल खिड़की प्रणाली

जनता की सुविधा हेतु उनके योजना स्वीकृति मामलों को नगर पालिका औरं नगर एवं ग्रम योजना विधेयकों के अन्तर्गत, एक ही स्थान पर, निपटारा करने के उद्वेश्य से 12 नगरीय क्षेत्रों नामतः शिमला, नाहन, हमीरपुर, उना, मण्डी, रामपुर बुशैहर, परवाणु, पांवटा साहिब, चम्बा, सोलन, बिलासपुर और नालागढ़ में "एकल खिड़की प्रणाली" लागू की गई है1

चूंकि निकायों में तकनीकी ज्ञान विशेषज्ञों का विशेषतः नगर एवं ग्रम योजना के क्षेत्र में, अभाव है, अतः इस विभाग के क्षेत्राधिकारी नगरपालिकाओं को सहयोग दे रहे हैं1

वजट आबंटन, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को सहायता अनुदान तथा पंचवर्षीय योजना 2007–12 एवं वार्षिक योजना 2010–11 के लिए निर्धारित लक्ष्य1

पंचवर्षीय योजना 2007–12 तथा वार्षिक योजना 2010–11 के लिए स्वीकृत परिव्यय निम्न प्रकार से हैं:–

2217	**शहरी विकास**	राशि लाखों में 2007–12	राशि लाखों में 2010–11
02	नगर एवं ग्राम योजना(स्थापना)	2342.00 1962.00	519.69 (नान प्लान)
4217 05	प्रारूप विकास योजना तैयार करना (मुख्य कार्य)	380.00	134.40
जन–जातीय क्षेत्र में शहरी विकास प्राधिकरणों को सहायता अनुदान		1062.00	70.00

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को सहायता अनुदान

राज्य में नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित किये गए जन–जातीय विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को राज्य जन–जातीय उप योजना से सहायता अनुदान राशि निम्न कार्यो को करने हेतु दी जा रही हैः–

(क) आय उत्पादन की सम्पति का सृजन1
(ख) सामुदायिक लाभार्थ सम्पति का सृजन1
(ग) नगरपालिका सेवायें/नागरिक कृत्य का प्रावधान करवाना1

2009–10 के दौरान 146.60 लाख रू0 की राशि सहायता अनुदान के रूप में इन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को प्रसारित की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

कम सं0	**विकास प्राधिकरण का नाम**	**सहायता अनुदान की राशि ;रू0 लाखों मेंद्ध**
1.	रिकांग पिओ	11.88
2.	केलॉग	8.93
3.	उदयपुर	6.00
4.	काजा	8.32
5.	तबो	6.00
6.	किलाड़;पांगीद्ध	15.54
7.	भरमौर	89.93
	योग	**146.60**

पंचबर्षीय योजना 2007–12 तथा बार्षिक योजना 2010–11 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं1

- **पंचबर्षीय योजना (2007–12)**

क्षेत्रीय योजनांएः

1. काउण्टर मैगनट रीजनल प्लान
2. कैपिटल सिटी रीजनल प्लान

3. कुल्लू बैली रीजनल प्लान
4. कांगड़ा बैली रीजनल प्लान
5. बल्ह बैली रीजनल प्लान
6. नार्दन हिमाचल काउण्टर मैगनट रीजनल प्लान
7 साउर्दन हिमाचल काउण्टर मैगनट प्लान

- **प्रारूप विकास योजनाऐं**

1.	हाटकोटी	2.	बडोग
3.	कण्डाघाट	4.	चायल
5.	उदयपुर	6.	चमेरा
7.	रोहतांग	8.	मनीकरण
9.	वावा वालक नाथ जी	10.	सुन्दरनगर
11.	भरमौर	12.	रिकांगपिओ
13.	कांगड़ा	14.	घुमारवीं

- **योजना क्षेत्र अधिसूचित करने हेतु**

1.	नादौन	2.	भोटा
3.	जोगिन्द्रनगर	4.	चौपाल
5.	सुजानपुर	6.	बडसर
7.	जाहू	8.	बाधा
9.	दाडलाघाट	10.	रेनुकाजी
11.	अलसीडी	12.	करसोग
13	खटवां	14	चांम्वी
15	सुन्दरनगर	16.	गगरेट
17	अम्ब		

विशेष क्षेत्र अधिसूचित करने हेतु

1 सांगला—कमरू

• **बार्षिक योजना(2010–11)**

1 ठियोग एवं रोहड़ू योजना क्षेत्र की विकास योजना के पिछले वर्ष के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु 1
2 कुफरी विशेष योजना क्षेत्र की कार्य योजना 1
3 बाघा एवं दाडला घाट योजना क्षेत्र का गठन 1
4 बडोग विशेष क्षेत्र की विकास योजना बनाना1
5 रेणुका जी विशेष क्षेत्र का गठन 1
6 त्रिलोकपुर विशेष क्षेत्र की विकास योजना बनाना 1
7 अलसिडी एवं करसोग योजना क्षेत्र का गठन 1
8 खटवां,चम्बी एवं सुन्दर नगर योजना क्षेत्र का करना1
9 कमान्द क्षेत्र का वर्तमान भू उपयोग बनाना 1
10 नग्गर विशेष क्षेत्र की विकास योजना बनाना 1
11 मनीकरण विशेष क्षेत्र की विकास योजना बनाना 1
12 जाहू योजना क्षेत्र का गठन 1
13 बाबा बालक नाथ जी विशेष क्षेत्र की विकास योजना बनाना 1
14 धर्मशाला योजना क्षेत्र की पिछले वर्ष के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु संशोधित विकास योजना बनाना1
15 भरमौर विशेष क्षेत्र की विकास योजना बनाना 1
16 घुमारवीं एवं घागस योजना क्षेत्र का वर्तमान भू उपयोग मानचित्र बनाना 1
17 अम्ब एवं गगरेट योजना क्षेत्र का गठन1
18 जाबली विशेष क्षेत्र की विकास योजना बनाना 1
19 सराहन विशेष क्षेत्र की योजना बनाना 1

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को कार्यान्वित करने बारे

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4;1द्ध ;बीद्ध के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा प्रकाशन का अद्यतन कर लिया गया हैं1 सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है1 इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों एवं उनके निष्पादन का विवरण निम्नानुसार हैः–

बर्ष 2009.10–11 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन = 312

आवेदन जिनका निष्पादन किया गया = 312

उपरोक्त सभी आवेदनों का निष्पादन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निर्धारित समयावधि के भीतर किया गया है ।

राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली ;छन्ैद्ध

इस योजना का उददेश्य जहां एक तरफ विभिन्न स्तर पर शहरी योजना से सम्बन्धित विशेष विस्तार और स्थान से सम्बन्धित सूचना का आधार बनाना है, वही दूसरी तरफ मानक और शहरी इनडिसिज तैयार करना है। योजना इन्हीं कार्यों की प्रबलता पर केन्द्रित है। योजना की कुल लागत 104.54 लाख रूप्ये है। इसमें केन्द्रीय व राज्य सरकार की भागीदारी 75:25 की है । इस योजना के अन्तर्गत शिमला, धर्मशाला, मण्डी, सोलन व नाहन शहरों को लिया गया है। योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा अपना 25 प्रतिशत हिस्सा जो कि 29.58 लाख रूपये है, प्रदान कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा इस योजना में अभी 59.02 लाख रूपये की राशि जारी की जा चुकी है 1शेष राशि 15.94 लाख जो कि सर्वे जनरल आफ इण्डिया को देय है, जारी की जानी वांछित है1

(क) उपरोक्त पांच शहरों की राष्टीय शहरी डाटा बैंक और सूचना प्रतिवेदन नगर एवं ग्प्रम योजना संगठन, भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है।

(ख) नाहन एवं मण्डी शहरों के प्रतिवेदन देश के 137 शहरों में नमूने के रूप में नगर एवं ग्राम योजना संगठन द्वारा वितरित की गई हैं 1

(ग) योजना के विवरण के अनुसार, इसके अन्तर्गत लिए गए शहरों में स्थित कार्यालयों को हार्डवेयर और साफटवेयर उपलब्ध करवा दिए गए हैं।

(घ) नगर एवं ग्प्रम येाजना विभाग व शहरी स्थानीय निकाए के प्रस्तावना से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों ने देश के विभिन्न शहरों में प्रशिक्षण ग्रहण किया।

(ड) इस येाजना के अर्न्तगत जैसा कि प्रस्तावित था सभी नोडल अधिकारियों द्वारा आधे दिन की वर्कशाप करवाई जा चुकी है 1

(च) स्टेट कोआर्डिनेशन कमेटी के निणर्य अनुसार जी.आई. एस साफट बेयर लाईन आर्कव्यू एवं माईक्रोस्टेशन साफटवेयर की ट्रेनिग विभाग के सभी अधिकारियों को दे दी गई है।

लोक मित्र केन्द्र

विभाग योजना स्वीकृति, अनाधिकृत निर्माण एवं न्यायालयों के मामलों की सूचना समस्त नागरिकों को उपल्बध करवा रहा है जो कि लोक मित्र केन्द्रों से सवंद्ध है 1

भविष्य के कार्यक्रम

- **हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्प्रम योजना अधिनियम,1977 के प्रावधानों को पूर्ण राज्य में लागू करना ।**

  नया हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विधेयक सरकार के विचाराधीन है जिसमें ग्प्रमीण कार्यकलापों को निहित सीमा तक अधिनियम के दायरे से छूट देने का प्रावधान रखा गया है । विधेयक को सम्पूर्ण प्रदेश में लागू करना प्रस्तावित है जिसमें मुख्य गतिविधियां अधिनियम के दायरे में रहेंगी तथा उनके लिए नियमों व विनियमों के अन्तर्गत स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

- **योजनाओं को शीघ्र तैयार करने एवं कार्यान्वित करने हेतु विभाग का प्रौद्योगिकी उन्नयन**

  इस विभाग की वैब साइट एवं पता निम्न प्रकार से है1
  www.himachal.nic.in./tcp/

आम आदमी की सुविधा हेतु विभाग की समस्त सुचनाऐं जैसे कि स्वीकृत विकास योजनाऐं, रिर्पोटस, अधिनियम, मार्गदर्शी सिद्धान्त, मानक एवं फार्म उपरोक्त वैवसाइट पर उपलब्ध हैं1 एन आई सी सचिवालय हिमाचल प्रदेश द्वारा ये वैवसाईट नियमित रूप से अपडेट की जा रही है1 एस एम.एस, गेटवे सर्विसज और ई समाधान भी विभाग के समस्त कार्यालयों में शुरू कर दी गई

है1 पी एम आई एस एवं न्यायिक आवेदन की प्रतिक्रिया मुख्यालय स्तर पर शुरू कर दी गई है1 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विभाग के कम्पयूटरी कृत हेतु मामला विचाराधीन है जो कि एन आई सी एस आई द्वारा कार्यन्वित किया जाना है1 वर्ष 2010–11 में विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ट्रेनिग कोर्सो बारे सूची तैयार करके हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्था शिमला को प्रेषित कर दी गई है 1

अनुबन्ध“ख”

विभाग में स्वीकृत, भरे गये तथा रिक्त पदों का विवरण 31–03–2010

क्रम सं0	पद का नाम	कुल स्वीकृत पद	भरे गये पद	रिक्त पद
1.	निदेशक	1	1	.
2.	राज्य नगर योजनाकार	1	1	.
3.	नगर एवं ग्राम योजनाकार	8	2	6
4.	सहायक नगर योजनाकार	14	8	6
5.	योजना अधिकारी	19	14	5
6.	विधि अधिकारी	1	1	.
7.	तहसीलदार	1	1	.
8.	अधीक्षक वर्ग–1	1	1	.
9.	अनुसंधान अधिकारी	2	2	.
10.	अधीक्षक वर्ग–2	2	2	.
11.	वरि0 योजना प्रारूपकार	13	8	5
12.	निजि सहायक	1	1	.
13.	कनिष्ठ अभियन्ता	29	18	11
14.	प्रारूपकार	5	5	.
15.	कनि0 प्रारूपकार	22	21	1.
16.	लोह मुद्रक	3	3	.
17.	अनुसंधान सहायक	2	2	.
18	क्षेत्रीय अन्वेषक	3	1	2
19	वरि0 ***सहायक***	11	11	.
20.	वरि0 वेतनमान आशुलिपिक	1	1	.
21.	कनिष्ठ सहायक	13	13	.
22.	आशुटंकक	15	10	5
23.	लिपिक	14	11	3
24.	वाहन चालक	7	7	.
25.	पटवारी	19	14	5
26	सर्वेक्षक	2	2	.
27	प्रोसैस सर्वर	1	1	.
28	चपड़ासी	16	16	.
29	चेनमैन	24	24	.
30	चौकीदार–कम–स्वीपर	7	7	.
31	सफाई कर्मचारी	1	1	.
	योग	**259**	**210**	**49**